प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 जून, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अन्जनी कुमार शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद/कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-39076/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 29.09.2025, दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अन्जनी कुमार शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्र कुमार शुक्ला (दिनांक 27.08.2025 तक 46 वर्ष 07 माह 29 दिन) जो बबना, थाना-नवाबगंज, जनपद-फर्रूखाबाद हाल पता-जिला कारागार आवासीय परिसर कालोनी कानपुर नगर का निवासी है। कुत्ता व बकरी द्वारा दरवाजे पर गन्दगी फैलाने के विवाद को लेकर दिनांक 16.10.2003 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-9, 10/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 504 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कस सं0-06, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 16.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.08.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 27.08.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष 10 माह 10 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष 11 माह 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज की न्याय, आस्था व न्यायव्यवस्था पर गम्भीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 27.06.2025 तक बन्दी की 47 वर्ष, 07 माह की आयु बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 लोगों की हत्या) तथा पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अन्जनी कुमार शुक्ला (बन्दी संख्या-19572) पुत्र श्री मुनीन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद/कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-670/2026/2164(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।